(36)

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

अपील प्रकरण कमांक 1206–एक/2012 – विरूद्ध आदेश दिनांक 5–8–2010 –पारित व्दारा -- अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 22/2007–08 अपील

1– गोपाल पुत्र मांगीलाल
2– बद्रीलाल पुत्र गोपाल
3– महावीर पुत्र गोपाल
तीनों निवासी इच्छापुर
तहसील व जिला श्योपुर कलॉ ---अपीलांट्स

विरूद्ध

मॉगीलाल पुत्र स्व0 मोतीलाल माली
ग्राम इच्छापुर तहसील श्योपुर कलॉ
जिला श्योपुर कलॉ , मध्य प्रदेश ---रिस्पाण्डेन्ट

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री मुकेश वेलापुरकर)

आ दे श
(आज दिनांक 3 – 2 – 2016 को पारित)

यह अपील मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 22/2007–08 अपील में पारित आदेश 5–8–2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम इच्छापुरा की भूमि सर्वे क्रमांक 428/1 रकबा 8 वीघा 11 विसवा (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) उसके स्वर्गीय पिता मोतीलाल को भूदान बोर्ड से पटटे पर मिली थी जिस पर उन्होंने खेती की। जब वह नावालिग का था, मोतीलाल की मृत्यु हो गई उसी समय मौजा पटवारी से मिलकर गोपाल माली ने फर्जी रजिस्ट्री कलेक्टर की अनुमति के बिना अपने लड़कों के नाम करा ली एंव पटवारी ने फर्जी मिसल नंबर डालकर नामान्तरण भी कर दिया। अब गोपाल ने भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया है जांच कर जमीन वापिस दिलाई जावे। कलेक्टर श्योपुर कलॉ ने प्रकरण क्रमांक 767 बी-121/2002-03 पंजीबद्ध किया तथा पक्षकारों की सुनसाई उपरांत आदेश दिनांक 15-10-2007 पारित किया तथा आवेदक का दावा निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 22/2007-08 अपील में पारित आदेश 5-8-2010 से अपील स्वीकार कर कलैक्टर श्योपुर का आदेश दिनांक 15-10-2007 निरस्त किया तथा तहसीलदार श्योपुर को निर्देश दिये गये अपीलार्थी (इस न्यायालय का रिस्पा0) का आवेदन आने पर नामान्तरण की कार्यवाही संपादित की जाय। इसी आदेश से दुखी होकर यह अपील की गई है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने के साथ ही उनके व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस एंव अधीनस्थ न्यायालयों के प्रकरणों का अवलोकन किया गया।

4/ अपीलांट के अभिभाषक का तर्क है कि अपर आयुक्त व्दारा सूचना पत्र भेजे बिना एंव सुनवाई का अवसर दिये बिना एकपक्षीय आदेश पारित किया है जो नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध है। इस सम्बन्ध में अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 22/2007-08 अपील के अवलोकन पर पाया गया कि इस प्रकरण

में पृष्ठ कमांक 79, 80 पर आवेदकगण को पेशी 17.4.2088 की सुनवाई हेतु भेजे गये सूचना पत्र संलग्न है जिसकी प्रति निर्वाह उपरांत वापिस नहीं लौटी है। इसके वाद पुनः 24.7.20087 की पेशी के सूचना पत्र भेजे गये जिसकी एक प्रति बद्रीलाल ने स्वयं् की प्राप्त की है एंव गोपाल की प्रति भी बद्रीलाल ने प्राप्त की है क्योकि सूचना पत्र के पीठ पृष्ठ पर बद्रीलाल के निशानी अॅगूठा लगा है एव ग्रामीण भगवानदास गवाह के समक्ष जमादार तहसील श्योपुर ने सूचना पत्र का निर्वहन किया है तदाशय की टीप जमादार तहसील श्योपुर ने लगाई है। इसके वाद भी अपीलांट्स यह तर्क कि उन्हें सुने बिना अपर आयुक्त ने एकपक्षीय आदेश पारित किया है अविश्वसनीय है।

5/ अपीलांटस के अभिभाषक का तर्क है कि विक्रय पत्र की बैधता की जांच करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। वादग्रस्त भूमि भूदान बोर्ड से पटटे पर दी गई भूमि है। मध्यप्रदेश शासन ने भूदान बोर्ड गठित कर गरीव एंव कृषि श्रमिकों को आजविका चलाने के लिये भूमि दिये जाने के नियम बनाये थे वर्तमान में भूदान बोर्ड समाप्त है और वादग्रस्त भूमि भूदान पटटे की है । मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165 की उप धारा 7 व्यवस्था करती है कि विक्रय कानून के उपबंधों के विरूद्ध किया गया जो आरंभ से ही व्यर्थ एंव शून्य है ऐसे ही न्यायिक दृष्टांत इथोवा बनाम भागचंद 1964 ज0ला0ज0 606 एंव केशवा विरूद्ध म0प्र0राज्य 1996 रा0नि0 175 (SC) के हैं। भूमि का विक्रय पत्र विधि के प्रभाव से शून्य एंव अकृत श्रेणी का होने से अपीलीय न्यायालय संहिता की धारा 165 के अधीन सशक्त होने से तदाशय का आदेश पारित कर सकता है जिसके कारण अपीलांट्स के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत यह तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है।

6/ अपीलांट्स के अभिभाषक ने तर्क भी दिया कि कलेक्टर श्योपुर ने प्रकरण कमांक 4/03-04 अ 21 में पारित आदेश दिनांक

5-1-04 से वादग्रस्त भूमि के विक्रय की अनुमति प्रदान की है इसके वाद भी अपर आयुक्त ने विक्रय पत्र को दरकिनार किया है। प्रकरण के अवलोकन से मूल विवाद भूदान भूमि के पट्टाग्रहीता मोतीलाल व्दारा वादग्रस्त भूमि आवेदकगण को विक्रय पत्र दिनांक 6-1-77 के विक्रय पर उत्पन्न हुआ है जबकि कलेक्टर श्योपुर ने विक्रय अनुमति 5-1-04 को प्रदान की है जिसके कारण 5-1-04 का विक्रय अनुमति आदेश विक्रय पत्र दिनांक 6-1-77 पर प्रभाव नहीं डालता। भूदान पटटाग्रहीता मोतीलाल की मृत्यु 1974 में होना कलेक्टर श्योपुर ने आदेश दिनांक 15.10.2007 के पद 6 में बताई है, इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 22/2007-08 अपील में पारित आदेश 5-8-2010 से लिये गये निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है। वैसे भी विद्वान अपर आयुक्त ने माननीय वरिष्ठ न्यायालयों के आदेशों का अनुसरण करते हुये बोलता हुआ आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 22/2007-08 अपील में पारित आदेश 5-8-2010 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर